



# VISITOR CARE

*Manaaki manuhiri*

HUMANITARIAN SUPPORT FOR FOREIGN NATIONALS



## आवेदक द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

में अस्थायी वीसा पर हूँ और मुझे सहायता चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए?

आपको क्या सहायता उपलब्ध हो सकती है इसके बारे में अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए [www.foreignnationals.services.govt.nz](http://www.foreignnationals.services.govt.nz) वेबसाइट पर जाएं।

में अंग्रेज़ी नहीं बोलता/बोलती इसलिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता/सकती। मुझे सहायता कैसे मिल सकती है?

0800 RED CROSS नम्बर पर फोन करें या [visitorcare@redcross.org.nz](mailto:visitorcare@redcross.org.nz) पर ईमेल करें। न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस के पास आपकी सहायता के लिए भाषा सेवाएं उपलब्ध हैं।

किस तरह की सहायता शामिल है?

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, निम्न के लिए सहायता मिल सकती है:

- बहुत जरूरी और तुरंत जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी भोजन और घरेलू सामान
- बहुत जरूरी और तुरंत जरूरतों को पूरा करने के लिए कम्बल, गरम पानी की बोतलें और जरूरी कपड़े
- बहुत जरूरी और तुरंत जरूरतों को पूरा करने के लिए ओवर-द-काउंटर (बिना नुस्खे के मिलने वाली) दवा
- आवास (किराये, बोर्डिंग के खर्चे समेत)
- यूटीलिटीज़ यानि उपयोगिताएं (बिजली, गैस, परन्तु इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन योजनाएं इसमें शामिल नहीं हैं)

किसी तरह की नकदी का भुगतान नहीं किया जायेगा। आवेदन की स्वीकृति पर, लोग न्यूज़ीलैंड रेड क्रॉस या एक साझेदार एजेंसी से वाउचर प्राप्त कर सकेंगे।

क्या मुझे मिलने वाली सहायता की कोई सीमा है?

सहायता को प्रत्येक मामले के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए आपके लिए जो सहायता उपलब्ध है उसे आपके आवेदन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।



Working with the  
**New Zealand Government**

## मुझे आर्थिक सहायता कितनी जल्दी मिल सकती है?

आप जो भी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं उस पर कार्रवाई की जायेगी और इन-काइंड (सामान के रूप में) सहायता के मामले में, उसे आप के लिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी और निपुणता से उपलब्ध कराया जायेगा।

## यह सहायता कब तक मिलेगी?

जिन लोगों को जरूरत है, वे हर चार सप्ताह में एक बार आवेदन कर सकते हैं। आपकी पात्रता और आपके लिए उपलब्ध सहायता प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदन के माध्यम से निर्धारित की जाएगी और इसी कारण से, वह भिन्न हो सकती है।

## क्या आप मुझे घर जाने में भी सहायता करेंगे?

नहीं, इस सहायता में हवाई उड़ानों के लिए धनराशि शामिल नहीं है। यह कार्यक्रम एक अस्थायी, ट्रांजिशनल (संक्रमणकालीन) व्यवस्था है, जिसके अंत में यह आशा की जाती है कि आप अपने घर लौट पायेंगे या सहायता के वैकल्पिक साधनों को ढूँढ लेंगे।

न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों के पास अब एक-दूसरे के नागरिकों को घर लाने में सहायता करने के लिए ट्रांजिट अग्रीमेंट (पारगमन समझौते) हैं। पूरे ब्यौरे के लिए

[www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response](http://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response) पर जाएं।

अगर आप विदेश से हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने दूतावास से यह जानने के लिए सम्पर्क करें कि आपको क्या सहायता उपलब्ध है। हो सकता है आप स्वदेश के लिए उड़ानों के बारे में, अगर वे उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने में अपनी रुचि दर्ज करा सकें।

अगर अपने दूतावास से सम्पर्क बनाने में आपको सहायता चाहिए, तो उनकी सूची मिनिस्ट्री ऑफ फोरन अफेयर्स एन्ड ट्रेड (विदेश सम्बन्ध एवं व्यापार मंत्रालय) की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

[www.mfat.govt.nz/en/embassies](http://www.mfat.govt.nz/en/embassies)

## मैं न्यूजीलैंड रेड क्रॉस की सेवा/अपने आवेदन के बारे में शिकायत करना चाहूंगा/चाहूंगी। मैं ऐसा कैसे कर सकता/सकती हूँ?

अगर आप हमारी सेवा से खुश नहीं हैं, तो कृपया हमें बताएं। हम आपकी फीडबैक (प्रतिक्रिया) को सुनना चाहेंगे और अगर हम कर सकते हैं तो समस्या का समाधान करना चाहेंगे। आप अपनी स्थिति पर चर्चा करने और अपने लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया की पहचान के लिए 0800 RED CROSS पर फोन या [visitorcare@redcross.org.nz](mailto:visitorcare@redcross.org.nz) पर ईमेल कर सकते हैं।

## आवेदन के लिए मुझे कौन से दस्तावेज़ या प्रमाण की जरूरत है?

सबसे पहला काम यह है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए [www.foreignnationals.services.govt.nz](http://www.foreignnationals.services.govt.nz) वेबसाइट पर जाएं और इसका पता लगाएं कि अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा।



Working with the  
**New Zealand Government**

कुछ प्रमुख दस्तावेज जिन्हें आपको पेश करने के लिए कहा जा सकता है (कुछ अतिरिक्त जरूरतें हो सकती हैं जो आपके हालातों पर निर्भर हो सकती हैं) इनमें शामिल हैं:

- आवास और संबंधित लागतों का प्रमाण (मुख्य किरायेदार, मकान मालिक या मेहमानदारी करने वाले से पत्र; छात्रावास, होटल या मोटल से स्टेटमेंट) और आवास प्रदाता के बैंक खाते का विवरण
- उपयोगिताओं की सबूत लागत यानी बिजली (उपयोगिता प्रदाता से बयान) और उनके बैंक खाते का विवरण
- आर्थिक स्थिति के सबूत (बैंक स्टेटमेंट या खाता जानकारी)
- वीसा की स्थिति के सबूत

**मैंने आवेदन किया था और मैं इस सहायता के योग्य नहीं हूँ। क्या मेरे लिए कोई और सहायता उपलब्ध है?**

अगर आप न्यूजीलैंड के नागरिक या निवासी हैं, तो संभव है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डवलपमेंट (समाज विकास मंत्रालय) से सहायता प्राप्त कर सकें। आप यहाँ

[www.msd.govt.nz/what-we-can-do/individuals/index.html](http://www.msd.govt.nz/what-we-can-do/individuals/index.html) पता लगा सकते हैं कि आपको क्या सहायता उपलब्ध हो सकती है।

अगर आपको सहायता की जरूरत है परन्तु आपको इस सहायता का पात्र नहीं पाया गया है, तो कृपया 0800 RED CROSS को फोन करें। हमारी विज़िटर केयर मनाकी मानुहीरी (आगन्तुक देखभाल) टीम आपकी आगे सहायता करने में सहायक हो सकती है।

आपकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, आपको अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है:

- **स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताएं**

अगर आप अपने डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं, तो हेल्थलाईन को मुफ्त सलाह और जानकारी के लिए फोन करें। वे आपके साथ आपकी भाषा में बात करने का इंतजाम कर सकते हैं। जब आपकी फोन कॉल का जवाब दिया जाता है, तो कहिए कि आपको एक दुभाषिये की जरूरत है और आप किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहेंगे। 0800 611 116 नम्बर पर फोन करें

- **मानसिक स्वास्थ्य**

मानसिक स्वास्थ्य सलाह के लिए 1737 नम्बर पर किसी भी समय फोन या टैक्स्ट करें। सारी सेवाएं 40 से भी ज्यादा भाषाओं में दुभाषिया सेवाओं समेत, 24/7 उपलब्ध हैं। फोन या टैक्स्ट करें: 1737 या [1737.org.nz](http://1737.org.nz) पर जाएं।

- **वीसा सहायता**

अगर आप विदेश से हैं और अपने वीसा की स्थिति के बारे में सलाह चाहिए, तो इमीग्रेशन न्यूजीलैंड से [www.immigration.govt.nz](http://www.immigration.govt.nz) वेबसाइट के जरिये या 0508 558 855 नम्बर पर फोन करके सम्पर्क करें।



Working with the  
**New Zealand Government**

- **टेनेन्सी एडवाइस (किरायेदारी सलाह)**

अगर आपको किरायेदार के रूप में अपने अधिकारों के बारे में सलाह चाहिए तो टेनेन्सी ट्रिब्यूनल से [www.tenancy.govt.nz](http://www.tenancy.govt.nz) वेबसाइट के जरिये या 0800 836 262 नम्बर पर फोन करके सम्पर्क करें।

- **सिटीज़न्स एडवाइस ब्यूरो (नागरिक सलाह केन्द्र)**

सिटीज़न्स एडवाइस ब्यूरो का उद्देश्य लोगों की उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में सहायता करना है। वे सभी को मुफ्त और निष्पक्ष सेवा प्रदान करते हैं। आप उनकी वेबसाइट [www.cab.org.nz/location/cab-queenstown](http://www.cab.org.nz/location/cab-queenstown) पर जाकर उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

- **नौकरी के इच्छुक**

अगर आप काम की तलाश कर रहे हैं या आपके पास वैकेंसी या खाली जगह है जिसे भरने की जरूरत है, तो वर्क एन्ड इनकम न्यूज़ीलैंड से सम्पर्क करें [www.jobs-during-covid.workandincome.govt.nz/hello](http://www.jobs-during-covid.workandincome.govt.nz/hello) या फोन करें: 0800 779 009 (नौकरी की तलाश वालों के लिए लाईन))

आप वर्क फॉर सीज़न्स (मौसमी नौकरी) के अवसरों के बारे में जानकारी के लिए [worktheseasons.co.nz/hello](http://worktheseasons.co.nz/hello) वेबसाइट पर कोशिश कर सकते हैं।

Go with Tourism (गो विद टूरिज़्म) टूरिज़्म कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों / न्यूज़ीलैंड के विभिन्न इलाकों में पुनर्नियोजित (फिर से नौकरी लगवाने) करने के लिए 1:1 सहायता कर सकते हैं [www.gowithtourism.co.nz](http://www.gowithtourism.co.nz)

- **कर्मचारियों के अधिकार**

अगर आपको एक कर्मचारी के रूप में अपने अधिकारों के बारे में सलाह चाहिए तो Employment NZ (एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ीलैंड) से [www.employment.govt.nz](http://www.employment.govt.nz) वेबसाइट पर सम्पर्क करें या फोन करें: 0800 20 90 20

- **वेतन सब्सिडी रजिस्टर और शिकायतें**

यदि आपको लगता है कि आपके नियोक्ता को वेतन सब्सिडी मिल रही है और उसे आगे नहीं दिया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने नियोक्ता से इस बारे में बात करनी चाहिए। अपने नियोक्ता से पूछें कि क्या उन्होंने आवेदन पर आपका नाम सूची में दिया है या नहीं, क्योंकि वे अपने कुछ या सभी कर्मचारियों के लिए सब्सिडी का आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप अपने नियोक्ता से इस बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपको उनके आवेदन में शामिल किया गया था या नहीं, तो आप सामाजिक विकास मंत्रालय से इसकी जांच कर सकते हैं [msd.govt.nz/form/msd/govt/nz/form.req2?requestType=wage-subsidy-payment-employee-information-request](http://msd.govt.nz/form/msd/govt/nz/form.req2?requestType=wage-subsidy-payment-employee-information-request)



Working with the  
**New Zealand Government**

अगर आपने अपने नियोक्ता से बात कर ली है और:

- आप अपनी समस्या को नहीं सुलझा सकते या
- आपको लगता है कि आपके नियोक्ता ने सब्सिडी (आर्थिक सहायता) के बारे में धोखे का व्यवहार किया है, तो

आप Employment NZ (एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ीलैंड) के पास शिकायत कर सकते हैं

[www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy-and-leave-support-complaints](http://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy-and-leave-support-complaints)



Working with the  
**New Zealand Government**